प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
फतेहपुर।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय
जनपद–फतेहपुर।

पत्रांक/रा0प्र0/ 1276–81 /2020-21 दिनांक : 27-7-2020

विषय : कोटपा–2003 की धारा 6 बी की कड़ाई से अनुपालन करते हुए शैक्षिक संस्थानों के 109 गज के दायरे से तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक/शिविर/9908-10003 /2020-21 दिनांक 24 जून, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे तक तम्बाकू उत्पादों की विकी पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा निदेशक (मा0) शिविर कार्यालय के पत्रांक/शिविर/15310-15404/ 2020-20 दिनांक 25.08.2019 एवं पत्रांक/शिविर/21632-21730/2019-20 दिनांक 21 नवम्बर 2019 द्वारा समस्त माध्यमिक विद्यालयों को तम्बाकू, सिगरेट एव अन्य तम्बाकू उत्पाद वस्तुओं से मुक्त रखे जाने हेतु सी0ओ0टी0पी0ए0 2003 (कोटापा) के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने एवं रिर्पोटिंग करने तथा युवाओं और वच्चों को तम्बाकू उत्पादों की शुरूवात और उपभाग करनें से बचाने हेतु प्रश्नगत अधिनियम-2003 की धारा-4 एवं 6 में निम्नवत् प्राविधान को अनुपालन किये जाने के निर्देश प्रदापन किये गये है।

धारा–04– **सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। विद्यालय भी एक सार्वजनिक स्थान है। विद्यालय में तम्बाकू/धूम्रपान निषेध क्षेत्र का सूचना पट लगाया जाना अनिवार्य है। यह साइनेज शिक्षण संस्था के परिसर के अन्दर प्रमुखता से लगा हो–**

तम्बाकू धूम्रपान निषेध क्षेत्र

यहां धूम्रपान तम्बाकू का उपयोग करना एक अपराध है। उल्लंघन करनें पर 200 रूपये तक जुर्माना किया जायेगा। अगर आपको कोई भी व्यक्ति इस परिसर में तम्बाकू का उपयोग या धूम्रपान करते दिखई देता है, तो कृपया निम्नखित अधिकारी को शिकायत करें।

श्री/श्रीमती ....

पदनाम..

मोवाइल नम्बर ....

धारा– 6बी– **शिक्षा संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबन्धित है। प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार पर 60×30 से0मी0 या उससे ज्यादा आकार का साइनेज (बोर्ड) लगाना अनिवार्य है। जिस पर लिखा हो–**

②

तम्बाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है।

चेतावनी

1- तम्बाकू धूम्रपान वर्जित क्षेत्र यहां धूम्रान या किसी तरह के तम्बाकू का प्रयोग करना सख्त मना है। यह एक दंडनीय अपराध है।

2- इस शिक्षण संस्थान के 100 गज की परिधि में सिगरेट एव अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है।

3- यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या 6 महीने की सजा हो सकती है।

4- अगर कोई यहां धूम्रपान या तम्बाकू का उपयोग कर रहा है तो इनसे शिकायत करें।

श्री/श्रीमती ....

पदनाम..

मोबाइल नम्बर ....

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक विद्यालयों के आस-पास 100 गज की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकानों आदि को जिला प्रशासन के सहयोग से हटवाना सुनिश्चित किया जाय तथा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को तम्बाकू मुक्त घोषित कर, विद्यालय के मुख्य द्वारा पर **"तम्बाकू मुक्त विद्यालय"** का साइनेज बोर्ड लगवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक
फतेहपुर।

पृ0सं0/रा0प्र0/ /2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
02- संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
03- जिलाधिकारी फतेहपुर।
04- अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ।
05- नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फतेहपुर।

जिला विद्यालय निरीक्षक
फतेहपुर।